

प्रधान यहालेखाकार (लेखायरीक्षा) कार्यालय, बिहार वीरमन्द्र पटेल मार्ग, पटना – ४०० ००१

Office of The Principal Accountant General (Andit), Bihar

Birchand Patel Marg, Patna - 800 001 Telephone: 0612-2221226, Email:agaubihar@cag.gov.in



परिपत्र सं:-प्रशा०(ले०प०)/गो०शा०/2025-26/C-267 दिनांक:- 2/12/125

परिपत्र

मुख्यालय कार्यालय से प्राप्त परिपत्र संख्या Circular No. 35/2025 No. 324-Staff (JCM)/03-2025 दिनांक 13.10.2025 के आलोक मे कार्यालय के सभी Service Associations (वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी संघ, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी संघ एवं सिविल ऑडिट एम्प्लोयीज संघ) एवं सभी अधिकारियों/कर्मचारियों हेतु निम्नलिखित निर्देश सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ परिचालित किया जा रहा है -

- 1. किसी सेवा संघ के कार्यकारी समिति के सदस्य अथवा पदाधिकारी को अपनी पदेन हैसियत से उस संघ से जुड़े किसी भी मामले मे हस्तगत नहीं करने चाहिए |
- An office-bearer or member of an Executive Committee of a Service Association should not deal in his official capacity with any matter concerning that association.
- 2. ऐसे प्रदर्शन या हड़ताल जो भारत की संप्रभुता, सुरक्षा या सार्वजनिक व्यवस्था के लिए नुकसानदायक है, वह वर्जनीय है | इसमे न्यायालय की अवमानना, मानहानि या किसी जुर्म के लिए उकसावे से संबन्धित गतिवीथियाँ भी शामिल है |
- 2. Demonstrations or strikes that are prejudicial to India's sovereignty, security, or public order are prohibited. This includes those that involve contempt of court, defamation, or incitement to an offense.
- 3. सरकारी कर्मचारियों को अपनी सेवा शर्तों या अन्य सरकारी कर्मचारियों की सेवा शर्तों से जुड़े किसी भी तरह के मामले में हड़ताल , बल प्रयोग या शारीरिक उत्पीड़न का सहारा लेने या उसे बढ़ावा देने की सख्त मनाही है।
- Government servants are forbidden from resorting to or abetting any form of strike. coercion, or physical duress related to their service conditions or the service of other Government servants.
- 4. सरकारी कर्मचारियों को राजनीतिक दलों द्वारा किए गए प्रदर्शनों से भी दूर रहने की सख्त निर्देश दिया जाता है।
- 4. Government servants are also instructed to keep away from demonstrations organized by political parties.

उक्त संदर्भ में, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक कार्यालय का पत्र संख्या 131-NGE (JCM)/20-2010 KW -II दिनांक 21.02.2012 तथा पत्र संख्या 210 (JCM)/03-2025 दिनांक 23.06.2025 के द्वारा जारी किए गए अनुस्मारक को भी ध्यान में रखा जाए।

In this regard, CAG's Office letter No. 131- NGE (JCM)/20-2010 KW-II dated 21.02.2012 and reminder issued vide letter No. 210-Staff (JCM)/03-

2025 dated 23.06.2025 may also being kept in mind.

यह पुनः स्मारित किया जाता है कि कोई भी सरकारी कर्मचारी जो ऊपर दिए गए निर्देशों का उलंघन करके किसी भी प्रवर्शनी /मीटिंग /धरने मे शामिल होता है या उसमें हिस्सा लेता है और /या किसी भी तरह के धरने का सहारा लेता है या उसे बढ़ावा देता है उस पर प्रशासनिक और /या अनुशासनिक , दोनों तरह की कारवाई की जा सकती है |

It is reiterated that any Government servant engaging himself or participating in any demonstrations/ meeting/dharna in violation of the above instructions and/or resorting to or in any way abetting any form of dharna, is liable for appropriate action, both administrative and/or disciplinary.

हैं 0/-वरिष्ठ उपमहालेखाकार (प्रशासन)

Copy to:

- 1. Secretary to Principal Accountant General (Audit) Bihar, Patna
- 2. Sr. Dy. Accountant General (Admn.) Secretariat
- 3. Dy. Accountant General (AMG-I) Secretariat
- 4. Sr. Dy. Accountant General (AMG-II) Secretariat
- 5. Dy. Accountant General (AMG-III) Secretariat
- 6. Dy. Accountant General (AMG-IV) Secretariat
- 7. Dy. Accountant General (AMG-V) Secretariat
- 8. Sr. Audit Officers, AMG-I, AMG-II, AMG-III, AMG-IV, AMG-V are requested to inform officials working in their sector
- 9. Sr. Audit Officers of all controlling sections
- 10. RAO (EB)
- 11. Secretary, Senior Audit officers Association
- 12. Secretary, Assistant Audit officers Association
- 13. Secretary, Civil Audit Employees Association
- 14. Sr. A.O./AMS with request to upload the said order in the office website
- 15. Notice Board
- 16. O.O Guard Files

Digitally signed by Diwakar Ray वरिष्ठ लेखिसाकिशाकिरिधिक्रिसिशिक्रिकीय कोषांग 12:06:09